

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—


राँची

दिनांक :- 13-04-18

अधि.सं.-02/स्था.(स्था.पद.)-03-04/2018-1807/श्री हेमन्त कुमार लोहानी(ID-3930), प्राक्कलन पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची को स्थानान्तरित करते हुए, विभाग में योगदान करने हेतु आदेशित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
13.4.18


( विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-


1807

राँची, दिनांक :-

  
13-04-18

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

  
13.4.18


( विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।


ज्ञापांक :-

1807

राँची, दिनांक :-

  
13-04-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13.4.18

( विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।